कार्यालय कलेक्टर (जनगणना), जिला गुना (म०प्र०)

क्रमांक - 01 / जनगणना 2020 / जि.यो.सां. गुना, दिनांक- 04-02-2020

प्रेस विज्ञप्ति

भारत की जनगणना 2021 के तहत प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के साथ–साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने हेतु भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जिला स्तर एवं चार्ज स्तर पर तकनीकी सहायक एवं मल्टीटास्किंग स्टॉफ को लगाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। जिले में निम्नलिखित तकनीकी सहायक एवं मल्टीटास्किंग स्टॉफ की आवश्यकता है–

क्र.	प्रशासनिक इकाई	तकनीकी सहायकों की अधिकतक संख्या	प्रतिमाह पारिश्रमिक (रूपये में) प्रति व्यक्ति	मल्टीटास्किंग स्टॉफ	प्रतिमाह पारिश्रमिक (रूपये में) प्रति व्यक्ति
1	जिला स्तर	04	20000 / –	02	14000 / –
2	चार्ज	14	20000 / –	Nil	Nil

1. तकनीकी सहायक एवं मल्टीटास्किंग स्टॉफ कर्मियों की नियुक्ति 18 माह के लिये की जावेगी, जिसमें माह फरवरी 2020 शामिल होगा।
2. उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया पारिश्रमिक अधिकतम है, इससे ज्यादा पारिश्रमिक दिया जाना संभव नहीं है।
3. उपरोक्त नियुक्ति संविदा के आधार पर पूर्णतः अल्पकालिक अवधि के लिये की जावेगी। नियुक्त किये गये कर्मियों को नियमितीकरण अथवा अन्य किसी पद पर जैसे आकस्मिक, तदर्थ, अस्थाई या नियमित सेवा के लिये दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
4. नियुक्त किये गये तकनीकी सहायक एवं मल्टीटास्किंग स्टॉफ कर्मियों के वैधानिक अंशदान ईपीएफ, इएसआईसी इत्यादि एवं अन्य करों की कटौती की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
5. तकनीकी सहायक कर्मी को कम्प्यूटर पर कार्य करने (एम.एस.वर्ड, एक्सल, पॉवरपॉईंट, इन्टरनेट) इत्यादि में दक्ष हों तथा सीएमएमएस पोर्टल एवं स्मार्ट फोन का उपयोग करने में समर्थ हों।

उक्त कर्मियों की पूर्ति हेतु पात्र संस्थाओं से मोहरबंद निविदाएं दिनांक 12.02.2020 तक आमंत्रित की जाती हैं।

1. संस्था गुमास्ता एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिये।
2. विगत 03 वर्षो का ऑडिट होना होना चाहिये।
3. संस्था का जीएसटी नम्बर होना चाहिये।
4. संस्था द्वारा विगत 03 वर्षो की आयकर रिटर्न जमा होना चाहिये।
5. संस्था का पेन कार्ड होना चाहिये।
6. यदि कोई पूर्व में कार्य अनुभव हो तो उसे भी संलग्न किया जाये।
7. निर्धारित प्रपत्र 1000 / -- रू. में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय गुना से क्रय किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ 5000 / – का बैंक ड्राफ्ट जिला जनगणना अधिकारी के नाम से संलग्न किया जाना चाहिये।

कलेक्टर एवं
प्रमुख जनगणना अधिकारी
जिला गुना (म०प्र०)